



झारखण्ड सरकार, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूँटी

email : witikhunti@gmail.com, ashamaximalakra@gmail.com

Ph. No. – 0652-8220096, Mobile – 9431336901/7903099566



Industrial Training Institute

नामांकन सूचना

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 521 दिनांक 13/04/2018 एवं 1256 दिनांक 27/09/2018 के अनुपालन में सरकारी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI), खूँटी (SCVT के अन्तर्गत संचालित) में सत्र 2018-20 में प्रथम साक्षात्कार एवं नामांकन के उपरान्त रिक्त सीटों पर निम्नलिखित व्यवसाय में प्रवेश के निमित्त इच्छुक महिला उम्मीदवारों से अनुसूची- 'क' के अनुरूप हस्तलिखित/टंकित आवेदन पत्र दिनांक 17/11/2018 संख्या 5:00 बजे तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से नोडल पदाधिकारी –सह- जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, खूँटी (झारखण्ड) पिन 835210 द्वारा निम्न शर्तों के अनुरूप आमंत्रित किया जाता है।

- शैक्षणिक योग्यता** – (क) सभी व्यवसायों के लिए प्रवेशिका (माध्यमिक/10 वॉ)/समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण। नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीट के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रिक के प्राप्तांक/मेरिट के आधार पर नामांकन नियमानुसार किया जायेगा।
- आयु अहर्ता** :-
(क)- 01 जुलाई 2018 को न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष के बीच होना चाहिए।
(ख)- सैन्य कार्रवाई में मारे गये सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष। आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10वॉ समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबधिक प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि ही बंध होगी।
- शारीरिक योग्यता** :-
प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को लिखित आश्वासन देना होगा कि वे प्रशिक्षण की अवधि में अनुशासन का पालन करेंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व प्रशिक्षण कभी भंग नहीं करेगे।
- प्रवेश करने के समय प्रशिक्षणार्थियों को 50/- (पचास) रुपये मात्र कौशन मनी (अवधान राशि) के रूप में जमा करना होगा। अगर छात्रों द्वारा संस्थान का कोई सामान खो जाने या सामान को जानबुझ कर तोड़ दिये जाने पर उसकी कीमत कौशन मनी से काट ली जायेगी तथा अन्य उचित कार्रवाई की जायेगी। उत्तीर्ण करने के बाद छात्र एक वर्ष के अन्दर कौशन मनी वापस नहीं लेते हैं तो इसे जब्त कर लिया जायेगा और सरकारी खजाना में जमा कर दिया जायेगा। सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को कल्याण विभाग से नियमानुसार छात्रवृत्ति मिल सकती है।
- आरक्षण अहर्ता**:- (क) आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक – 7/नीति (आरक्षण)-06/2001 का 0-5886 राँची दिनांक 21.09.11 के अनुसार रहेगा।
(ख) मेरिट से चुने गये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा बल्कि खुली गुणा-गुण कोटि के 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध माना जायेगा।
(ग) महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूँटी में स्वीकृत सीटों के 30 प्रतिशत सीट सुपरन्यूमरी है, अर्थात् कुल सीट = स्वीकृत सीट + स्वीकृत सीट का 30 प्रतिशत अतिरिक्त सीट।
(घ) प्रत्येक व्यवसाय में एक-एक सीट क्रमशः दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित है।
(छ) बाकी बचे सुपरन्यूमरी सीट में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

नामांकन हेतु सीटों का विवरण :-

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूँटी

व्यवसाय	प्रशिक्षण की अवधि	स्वीकृत सीट	स्वीकृत सीट का विभाजन			सुपरन्यूमरी सीट का विभाजन			Total Seat
			Gen 50 %	ST 45 %	SC 05 %	SMQ	PH	Supern umeric SC/ST	
इलेक्ट्रॉनिक्स मेकैनिक्स	2 वर्ष	21	6	7	1	1	1	3	19

- आवासीय अहर्ता** :- महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूँटी में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते हैं जो झारखण्ड राज्य के निवासी हैं या स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या-14/स्थानीय नीति -14-03/2016 का 4650, दिनांक 02 जून 2016 (संकल्प संख्या-3198 दिनांक 18.04.2016) में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया है। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति नामांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- जाति आधारित अहर्ता**:- नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- अनुलग्नक** :- (क) प्रवेशिका अंक पत्र की स्वअभिप्रेमाणित छायाप्रति, (ख) कंडिका 7 में वर्णित अद्यतन आवासीय प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रेमाणित छायाप्रति, (ग) आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10वॉ समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबधिक प्रमाण-पत्र, (घ) स्वपता लिखा लिफाफा (स्पीडपोस्ट/निबंधित डाकटिकट चिपका हुआ) (च) जाति प्रमाण-पत्र की अद्यतन स्वअभिप्रेमाणित छायाप्रति, (छ) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (दिव्यांग कोटि के लिये) की स्वअभिप्रेमाणित छायाप्रति, (ज) जिला सैनिक परिषद् द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र (भूतपूर्व सैनिक कोटि के लिए) की स्वअभिप्रेमाणित छायाप्रति।
- आवेदन प्रपत्र जिला नियोजनालय, खूँटी एवं महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूँटी में सभी कार्य दिवसों में प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही नामांकन सूचना एवं आवेदन प्रपत्र www.khunti.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

नोडल पदाधिकारी

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूँटी
-सह- जिला नियोजन पदाधिकारी, खूँटी।

अनुसूची "क"

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूँटी में प्रवेश करने हेतु आवेदन पत्र

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम :- **महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूँटी**
2. उम्मीदवार का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :-.....
(हिन्दी में):-.....
3. (क) पिता का नाम :-.....
(ख) अभिभावक का नाम :-.....
4. पिता/अभिभावक का पेशा :-.....
5. उम्मीदवार का पूरा पता :-.....
(क) स्थायी पता :-.....
(ख) थाना :-..... गृहजिला पिन नं०
(ग) पत्राचार का पता :-.....
..... मोबाईल नं० :-
- (घ) उम्मीदवार का आधार नम्बर :-

आवेदक अपना पूर्ण
हस्ताक्षर युक्त
पासपोर्ट साईज
रंगीन फोटो
चिपकाये।

6. उम्मीदवार का निकटतम रेलवे स्टेशन :-.....
7. जन्म तिथि (प्रमाण-पत्र अभिप्रमाणित प्रति के साथ):-.....
8. दिनांक 1 जुलाई 2018 को आयु
9. शैक्षणिक योग्यता :-

कृपया मैट्रिक/प्रवेशिका से लेकर सभी उच्चतर परीक्षाओं का विवरण दें :-

क्र० सं०	परीक्षा का नाम	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	विद्यालय/ महाविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष (वार्षिक/पूरक)	श्रेणी	प्राप्तांक	कुल अंक	परीक्षा के विषय	अभ्युक्ति
1									
2									
3									

नोट:- आवेदक सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करें।

10. क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं ?
:-.....

11. क्या उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित हैं ?

12. क्या उम्मीदवार विकलांग हैं ?

13. पिता/अभिभावक की वार्षिक आय और परिवार के वयस्क एवं नाबालिग दोनों की अलग-अलग संख्या
:-.....

14. अनुलग्नक की विवरणी :- 1)..... 2).....

- 3)..... 4)..... 5).....

- 6)..... 7)

मैं पिता का नाम

प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे द्वारा भरी गई है एवं सत्य है।

आवेदन देने की तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट:- (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग /भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित एवं वीरगति प्राप्त सैनिक के आश्रितों को अंचल पदाधिकारी/जिला उपायुक्त/जिला सोलजर्स बोर्ड (जो संबंधित प्रमाण-पत्र देने के लिए सक्षम हो) से उक्त वर्ग के होने का प्रमाण-पत्र अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

(2) दिव्यांगों को अपना आवेदन पत्र देते समय एक फुल साईज का फोटो देना होगा तथा जिला अस्पताल के ऑर्थो-पेडिक्स के विभागाध्यक्ष/जिला के असैनिक शल्य चिकित्सा (Civil Surgeon) द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण-पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।